भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1308
14/12/2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण

1308. श्री आर. गिरिराजन:
डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भूविज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण में हाल के वर्षों में हुए परिवर्तनों पर अनुसंधान और आंकड़ा विश्लेषण करने के लिए एक शोध दल या वैज्ञानिकों की समिति गठित की है
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और पिछले पांच वर्षों के दौरान-वर्ष वार और विषय-वार क्या कार्य किए गए हैं;
(ग) क्या केंद्र सरकार के पास अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप, पर्यावयरण प्रदूषण और जैव-निम्नीकरण के कारण तमिलनाडु में पश्चिमी घाटों और पूर्वीघाटों में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन करने की कोई योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर
पृथ्वी विज्ञान मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), भारत सरकार ने प्रोफेसर माधव गाडगिल की अध्यक्षता में 4 मार्च, 2010 को वेस्टर्न घाट ईकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल (WGEEP) का गठन किया। पैनल ने पश्चिमी घाटों की पारिस्थितिकी स्थिति का आकलन करके वेस्टर्न घाट को पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील बताया। राज्यों एवं हितधारकों की आपत्तियों के कारण, दिनांक 17 अगस्त, 2012 को डॉ. के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक हाई लेवेल वर्किंग ग्रुप (HLWG) गठित किया गया। HLWG ने पश्चिमी घाटों के 37 प्रतिशत हिस्से को पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील बताया।

HLWG ने यह प्रस्ताव दिया कि पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील भाग में कुछ विशेष गतिविधियों की अनुमति न दी जाए, जिसमें प्रमुख खनिज पदार्थों का नवीन खनन, उत्खनन या रेत खनन न किया जाना शामिल है। इसने यह सुझाव दिया कि पांच वर्ष के अंदर अथवा लीज समाप्त हो जाने के बाद खनन को चरणबद्ध तरीके से रोका जाए, कोई नए थर्मल विद्युत संयंत्र न लगाए जाएं, तथा तथा कुछ विशेष कंस्ट्रक्शन कार्यों को सीमित किया जाए और औद्योगिक परियोजनाओं को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव डालने वाली परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाए ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पश्चिमी घाटों तथा पूर्वी घाटों समेत अन्य राज्यों में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, वन्यजीव पर्यावास विकास, वन अग्नि रोकथाम, प्रोजेक्ट टाइगर, तथा राष्ट्रीय हरित भारत मिशन समेत विभिन्न संरक्षण योजनाएं चला रहा है। वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु कम्पेंसेटरी अफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथोरिटी के अंतर्गत निधियों का भी उपयोग किया जा रहा है।

*****